

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड–249199

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर आधारित



www.sdsuv.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों

(बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम)

के लिए प्रवेश नियम 2025

प्रवेश नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय—1 साधारण नियम—

- 1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएँगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपरिथित होना अनिवार्य होगा।
- 1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लिखित निर्धारित शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय—परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मात्र न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
(घ) किसी विद्यार्थी को आपाराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक अथवा प्रवेश स्थीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी

	परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत “धोखाधड़ी से प्रवेश लेना” माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।																								
1.10	प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/ संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।																								
1.11	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है— <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1— अनुसूचित जाति</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">19 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>2— अनुसूचित जनजाति</td> <td style="text-align: right;">04 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>3— अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td style="text-align: right;">14 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td> <td style="text-align: right;">10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)</td> </tr> </table> <p>(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)</p> <p>नोट— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1) महिलाएँ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>(2) भूतपूर्व सैनिक</td> <td style="text-align: right;">05 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>(3) दिव्यांग</td> <td style="text-align: right;">05 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत</td> <td></td> </tr> </table> <p>(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।</p>	1— अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत	2— अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत	3— अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत	4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)	1) महिलाएँ	30 प्रतिशत	(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत	(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत	(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत									
1— अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत																								
2— अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत																								
3— अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत																								
4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)																								
1) महिलाएँ	30 प्रतिशत																								
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत																								
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत																								
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत																									
1.12	शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी। <ul style="list-style-type: none"> (i) Extension in date of admission upto 30 days (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement. (iii) Waiving of domicile requirements. 																								
1.13	स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके समुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा— <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(क) एन०सी०सी० ‘बी’ अथवा ‘सी’ प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">25 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)</td> <td style="text-align: right;">20 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी/ सगाभाई/ बहन—</td> <td style="text-align: right;">20 अंक</td> </tr> <tr> <td>(घ) जम्मू—कश्मीर में तैनात अर्द्ध—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/ सगा भाई बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/ सगाभाई/ बहन—</td> <td style="text-align: right;">20 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर</td> <td style="text-align: right;">50 अंक</td> </tr> <tr> <td>(च) अन्तर—विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर</td> <td style="text-align: right;">40 अंक</td> </tr> <tr> <td>(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर</td> <td style="text-align: right;">30 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर</td> <td style="text-align: right;">25 अंक</td> </tr> <tr> <td>(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर</td> <td style="text-align: right;">25 अंक</td> </tr> <tr> <td>(झ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता</td> <td style="text-align: right;">25 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर</td> <td style="text-align: right;">20 अंक</td> </tr> <tr> <td>(ठ) अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर</td> <td style="text-align: right;">15 अंक</td> </tr> </table>	(क) एन०सी०सी० ‘बी’ अथवा ‘सी’ प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक	(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक	(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी/ सगाभाई/ बहन—	20 अंक	(घ) जम्मू—कश्मीर में तैनात अर्द्ध—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/ सगा भाई बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/ सगाभाई/ बहन—	20 अंक	(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक	(च) अन्तर—विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक	(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक	(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक	(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक	(झ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक	(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक	(ठ) अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक
(क) एन०सी०सी० ‘बी’ अथवा ‘सी’ प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक																								
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक																								
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी/ सगाभाई/ बहन—	20 अंक																								
(घ) जम्मू—कश्मीर में तैनात अर्द्ध—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/ सगा भाई बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/ सगाभाई/ बहन—	20 अंक																								
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक																								
(च) अन्तर—विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक																								
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक																								
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक																								
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक																								
(झ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक																								
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक																								
(ठ) अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक																								

- नोट** – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।
- 1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
 (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी०सी०, सी० सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपरिस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
 ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद—विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1.17 अभ्यर्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात् विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।
- 1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र—छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- वैधानिक नियन्त्रण** – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

अर्हता निर्धारण के नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय—2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

- 2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यूजी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्राये प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :—
(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
(4) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2—1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
2.2 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/निदेशकों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
2.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता—क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

3. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में निम्न संकाय/विभाग/विषय संचालित किए जा रहे हैं

3.1 कला संकाय

1. संस्कृत तथा प्राकृत भाषाएं
2. हिन्दी तथा आधुनिक भाषाएं
3. अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषाएं
4. दर्शनशास्त्र
5. मनोविज्ञान
6. शिक्षा शास्त्र
7. राजनीति शास्त्र
8. इतिहास
9. अर्थशास्त्र
10. भूगोल
11. संगीत
12. चित्रांकन एवं चित्रकारी
13. गृह विज्ञान
14. समाज शास्त्र
15. मानव विज्ञान
16. पत्रकारिता
17. पर्यटन तथा प्राथमिक होटेलियरिंग
18. पुस्तकालय विज्ञान
19. शारीरिक शिक्षा
20. सामाजिक कार्य (Social Work)
21. योग

3.2 वाणिज्य संकाय

1. वाणिज्य
2. व्यापार प्रबंध
3. मैनेजमेंट & इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी
4. एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट
5. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन

3.3 विज्ञान संकाय

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. जीव विज्ञान एवं बायोटेक
5. वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबॉयलॉजी
6. भू-विज्ञान
7. सांख्यिकी
8. वन-विद्या
9. कम्प्यूटर विज्ञान एवं इन्फोर्मेशन साइंस
10. फार्मसी
11. पर्यावरण विज्ञान

4.

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को 06 समूहों A से F में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F			
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्राइंग एवं पैटिंग (Drawing & Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षा शास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)			
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)	सांख्यिकी (Statistics)				
गणित (Mathematics)	गृह विज्ञान (Home Science)	योग (Yog)	दर्शनशास्त्र (Philosophy)					
	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)	संगीत (Music)						
	मनोविज्ञान (Psychology)	सैन्य विज्ञान (Military Science)						
	मानव विज्ञान (Anthropology)							

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों का चयन करेगा।

विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में चयनित डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यार्थी दिए गए एक समूह से केवल 01 का डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषय के रूप में चयन कर सकता है।

अतः विद्यार्थी 02 ये अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व 02 से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

नोट : (1) बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित एवं सांख्यिकी विषय का चयन कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की हो।

5. विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	Group B	Group C
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry) सांखिकी (Statistics) कम्प्यूटर साइंस (Computer Science) इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) डाटा साइंस (Data Science)
जीव विज्ञान समूह (Bio Group)		
Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry) वानिकी (Forestry) इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) मानव विज्ञान (Anthropology) पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) माइक्रोबॉयलोजी (Microbiology)

6. गृह विज्ञान संकाय (Bachelor of Home Science) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गृह विज्ञान समूह (Home Science Group)		
Group A	Group B	Group C
(A) Foods & Nutrition खाद्य एवं पोषण	(A) Clothing and Textile Sciences परिधान एवं वस्त्र विज्ञान	(A) Extension Education प्रसार शिक्षा
(B) Human Development and Family Studies मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	(B) Family Resource Management पारिवारिक संसाधन प्रबंध	

7. वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com) हेतु

प्रवेशार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्नानुसार करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

DSC - 1	DSC - 2	DSC - 3
वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting)	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध (Business Organization and Management)	व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

8. कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

8.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी0 एस0 सी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

8.2 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।

8.3 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

9. ए0 ई0 सी0—क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) : विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।

10. एस0 ई0 सी0—कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक—एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online platforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

11. वी0 ए0 सी0—मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक—एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

12. आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच)/फील्डवर्क पाठ्यक्रम : इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबंधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

13. Minor Project : स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस0ई0सी0 (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

14. Data Science : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस0ई0सी० (SEC) के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

15.

List of AEC's

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
1	English	1	I	English Language through Literature
			II	English Communication
		2	III	Communication through Digital Tools
			IV	Introduction to Translation
2	Hindi	1	I	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड अ)
			II	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड ब)
		2	III	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड अ)
			IV	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड ब)
3	Sanskrit	1	I	संस्कृत भाषा एवं साहित्य
			II	संस्कृत भाषा – संज्ञा एवं परिभाषा
		2	III	संस्कृत भाषा – संधि एवं उपसर्ग
			IV	संस्कृत भाषा – कारक एवं प्रत्यय
4	Reasoning and Aptitude		IV	Optional in UG fourth semester (Note : Student can also opt for any other modern Indian Language/ Foreign Language from recognised online learning platforms)

16.

LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)

S.No.	SUBJECT	YEAR	SEMESTER	NAME OF THE COURSE
1	Botany	1	I	Mushroom Cultivation I
			II	Mushroom Cultivation II
		2	III	Mushroom Cultivation III
			IV	Mushroom Cultivation IV
		3	V	Mushroom Cultivation V
			VI	Mushroom Cultivation VI
		1	I	Nursery Development And Floriculture I
			II	Nursery Development And Floriculture II
		2	III	Nursery Development And Floriculture III
			IV	Nursery Development And Floriculture IV
		3	V	Nursery Development And Floriculture V
			VI	Nursery Development And Floriculture VI
2	Chemistry	1	I	Introduction To Chemistry Laboratory
			II	Laboratory Techniques
		2	III	Cosmetics And Perfume
			IV	Soap And Detergents Formulation
		3	V	UV And FTIR Spectroscopy
			VI	HPLC And GC Techniques
3	Commerce	1	I	Personal Financial Planning
			II	Digital Marketing
		2	III	Investing In Stock Markets
			IV	Level 1: Certificate In BFSI – Architecture
		3	V	Level 2: Certificate In Mutual Fund
			VI	Entrepreneurship And New Venture Creation

4	Economics	1	I	Regional Economics and Urbanization In Uttarakhand
			II	Environmental Economics
		2	III	Entrepreneurship Development Skills
			IV	Fundamentals Of Startups
5	Education	1	I	Computer In Education
			II	Leadership And Personality Development
		2	III	Digital Education
			IV	ICT In Education
		3	V	Artificial Intelligence and Education
			VI	Data Interpretation and Statistical Analysis
6	English	1	I	Public Speaking and Leadership Skills
			II	Creativity and Performances in Uttarakhand
		2	III	Academic Writing
			IV	Editing and Proofreading
		3	V	Language and Journalism
			VI	Film Appreciation
7	Fashion Designing	1	I	Traditional Indian Embroideries
			II	Clothing Culture and Communication
		2	III	Trend Research & Forecasting
			IV	Craft Research and Documentation
8	Food and Nutrition	1	I	Personality Development
			II	Fashion Apparel Designing
		2	III	Guidance and Counseling
			IV	Public Speaking
		3	V	Sustainable Development
			VI	Intervention of Children with Special Needs
9	Food Technology	1	I	Basic Concepts in Lab Techniques- I
			II	Basic Concepts in Lab Techniques- II
		2	III	Technology of Mushroom Production
			IV	Food Authenticity and Fraud Detection
		3	V	Advances in Food Processing- I
			VI	Advances in Food Processing- II
10	Forestry	1	I	Nursery Technology
			II	Plantation Technology
		2	III	Propagation of Medicinal and Aromatic Plants
11	Computer Science	1	I	Excel
			II	PowerPoint Presentation
		2	III	Office 365
			IV	Cyber Security Awareness
		3	V	Client-Side Web Technology
			VI	Server-Side Web Technology
12	Drawing And Painting	1	I	Pencil Sketching Skill
			II	Pencil Shading Skill
		2	III	Poster Designing
			IV	Traditional Composition
		3	V	Nature Study
			VI	Head Study In Charcoal

13	Geography A - Climate Change And Adaptability In Mountains	1	I	Introduction to Mountain Ecosystems and Geography	
			II	Fundamentals of Climate Change	
			III	The Impact of Climate Change on Mountain Regions	
		2	IV	Climate Change Mitigation and Adaptation in Mountain Regions	
			V	Mountain Conservation and Ecosystem Services	
		3	VI	Mountain Research Project and Climate Change Advocacy	
	Geography B - Disaster Management		I	Basic Concepts of Disaster Management	
			II	Disaster Preparedness	
			III	Disaster Response	
			IV	Disaster Rehabilitation	
			V	Community Based Disaster Management	
			VI	Disaster Management and Planning	
14	Geology	1	I	Gems, Precious Stone and Building Materials (Theory)	
			II	Gems, Precious Stone and Building Materials (Lab)	
15	Hindi	1	I	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन	
			II	हिन्दी में भाषा कम्यूनिटी एवं संचार	
		2	III	रचनात्मक लेखन का परिचय	
			IV	सांशाल मीडिया लेखन	
		3	V	पटकथा लेखन	
			VI	गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति	
16	Home Science	1	I	House Keeping	
			II	Fruits and Vegetables Preservation	
		2	III	NGO Management and Corporate Social Responsibility	
			IV	Food Safety, Sanitation and Hygiene	
	Home Science (Prepared for the Pool of Courses)	1	I	Personality Development	
			II	Fashion Apparel Designing	
		2	III	Guidance and Counselling	
			IV	Public Speaking	
		3	V	Sustainable development	
			VI	Intervention of Children with Special needs	
17	Interior and Exterior Decoration	1	I	Resource & Space Planning	
			II	Event Management	
		2	III	Human Comfort Design	
			IV	Landscaping Indoor/Outdoor	
18	Library & Information Science	1	I	Library and Information Science Management	
19	Mathematics	1	I	Mathematical Techniques	
			II	Data Analysis Methods	
		2	III	Financial Mathematical Analysis	

20	Music	1	I	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 01
			II	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 02
		2	III	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal - 03
			IV	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal – 04
		3	V	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 05
			VI	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 06
21	Philosophy	1	I	Yoga as Applied Philosophy
			II	Fundamental of Yoga
		2	III	Yoga as Holistic Health
			IV	Yoga Education for Better living (Life)
		3	V	Yoga as Naturopathy
			VI	Yoga as Personality Development
22	Physical Education	1	I	Indigenous Activities - I
			II	Indigenous Activities – II
		2	III	Fitness & Conditioning
			IV	Yoga and Wellness
		3	V	Adventure Sports
			VI	Gym Operation
23	Physics	1	I	Basic Instrumentation Skills -I
			II	Basic Instrumentation Skills -II
		2	III	Basic Instrumentation Skills -III
			IV	Basic Instrumentation Skills -IV
		3	V	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques -I
			VI	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques-II
24	Psychology	1	I	Personal Growth and Life Skills
			II	Stress Management
		2	III	Principles & Practices of Mental Health Counselling
			IV	Application of Emotional Intelligence
		3	V	Effective Decision Making
			VI	Psychological Skills in Organizational and Professional Growth
		1	I	Psychological Skills in Foundation of Data Analysis
			II	Psychological Skills in Counseling Psychology
		2	III	Psychological Skills in Child and Adolescent Development
			IV	Foundation of Data Analysis
		3	V	Counseling Psychology
			VI	Child and Adolescent Development
25	Sanskrit	1	I	नित्यनामिति क अनुष्ठान
			II	संस्कृत संगणक
		2	III	ज्योतिषशास्त्र क मूलभूत सिद्धान्त
			IV	संस्कृत छन्द एव संगीत
		3	V	रंगमंच क सिद्धान्त
			VI	भारतीय वास्तकला

26	Sociology	1	I	Techniques of Social Research- I (Research Problem Identification and Data Collection)
			II	Techniques of Social Research - II (Data Management, Analysis, and Presentation)
		2	III	Applied Anthropology- I (Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of Uttarakhand)
			IV	Applied Anthropology -II (Tribal Skills: Challenges and Opportunities)
		3	V	Public Policy-I (Public Policy Formulation and Stakeholders)
			VI	Public Policy-II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
27	Yogic Science	1	I	Yoga and Wellness
			II	Introduction to Yoga & Naturopathy
		2	III	Introduction to Alternative Therapies
			IV	Introduction to Ayurveda
		3	V	Yogic Management of Lifestyle related disorders
			VI	Holistic Health Development
28	Zoology	1	I	Pearl Culture – Theory & Practical
			II	Vermiculture – Theory & Practical
		2	III	Sericulture – Theory & Practical
			IV	Biofloc Fish Culture – Theory & Practical
		3	V	Immunodiagnostics – Theory & Practical
			VI	Hematological Techniques – Theory & Practical
29	History	1	I	Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE)
			II	Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE)
		2	III	Cultural Heritage Management in Uttarakhand
			IV	Exploration in History : Research and Analysis
			V	Conservation of Museums and Archives in India
			VI	Heritage Tourism in India
30	Anthropology	1	I	Museum and Heritage Studies - I
			II	Museum and Heritage Studies – II
		2	III	Communication and Visual Anthropology
			IV	Biostatistics and Computational Anthropology

31	Political Science	1	I	Introduction to Politics and Political Process
			II	Political Leadership
		2	III	Governance & Public Policy
			IV	Introduction to the Indian Constitution
		3	V	Leadership in Democracy
			VI	Political Training
32	NCC	1	I	NCC Skill Enhancement Course-I
			II	NCC Skill Enhancement Course-II
		2	III	NCC Skill Enhancement Course-III
			IV	NCC Skill Enhancement Course-IV
		3	V	NCC Skill Enhancement Course-V
			VI	NCC Skill Enhancement Course-VI
33	Self-Paced Courses offered by NASSCOM/INFOS YS Spring Board	1	I	Cyber Security & Office Tools- I
			II	Fundamentals of Python for Data Science- II
		2	III	Emerging Technologies- III
			IV	Fundamentals of Data Analytics- IV
		3	V	Introduction to the World of AI/ML- V
			VI	Certification- VI
34	Data Science	Data Science		

नोट : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत Data Science से संबंधित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of VAC'S

Pool	Year	Semester	Title of the Course
A	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	पंचकोष : व्यक्तित्व का समग्र विकास
	2	III	संस्कृत वाङ्गमय में पर्यावरण चेतना
		IV	Vivekanand Studies
B	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Yoga and Human Values
	2	III	Yoga Philosophy and Practices
		IV	Management Paradigm From Bhagvad Gita
C	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Food, Nutrition and Health
	2	III	Public Health and Hygience
		IV	Mind Body Medicine
D	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Ecology and Literature
	2	III	Womenhood in India
		IV	Constitutional Values and Fundamental Duties
E	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Healthy Lifestyle for University Students - I
	2	III	Healthy Lifestyle for University Students – II
		IV	Healthy Lifestyle for University Students – III
F	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Culture and Communications
	2	III	Ethics and Culture
		IV	Ethics and Values in Ancient Indian Traditions
G	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Digital Empowerment
	2	III	Financial Literacy
		IV	Social and Emotional Learning
H	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Meditation
	2	III	Personality Development Through Applied Philosophy of Ramcharitmanas
		IV	Essence of Indian Traditional Knowledge
I	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	सृजनात्मक लेख के आयाम
	2	III	साहित्य संस्कृति और सिनेमा
		IV	भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य
J	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	The Art of Being Happy
	2	III	Swachh Bharat
		IV	Fit India

K	1	I	Environmental Studies and Value Education
		II	Reading Indian Fiction in English
	2	III	Vedic Mathematics – I
		IV	Vedic Science

वैधानिक नियन्त्रण –

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ—पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर—

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में
रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना
व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल
रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक
कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर—पिता/अभिभावक